



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-98/2025

ललजीत उरांव एवं अन्य

बनाम्

मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

—: आदेश :—

06.06.2025

आवेदक लालजीत उरांव वो किसुन उरांव वो रंजीत उरांव वो कामेश्वर उरांव चारों के पिता-स्व० गंदुवा उरांव वो रूपन उरांव वो केलेया उरांव दोनों के पिता-स्व० सोमिया उरांव वो मनोज उरांव वो धनेशर उरांव दोनों के पिता-स्व० रामराज उरांव, सभी निवासी ग्राम+पो०-चकला, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई-400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो०-चकला, थाना+अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता-स्व० जनार्दन राय (सहायक प्रबंधक) जो कोयला खदान के भूमि विभाग में पदस्थापित है, उनके साथ अपनी निम्नांकित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :-

भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)
चकला	140	1322	1.40
		1654	1.10
		1679	1.12
		1680	0.36
		1707	0.21
		1709	1.23
		1711	0.96
		1713	1.36
		1725	0.03
		1743	0.19
		1744	0.05
		1745	0.26
		1761	0.08
		1762	1.83
		1782	0.09
		1786	0.96

81

चकला	140	1789	0.55
		1936	0.28
		1937	1.26
		1984	1.30
		1986	3.54
		1995	0.82
		1997	1.60
		कुल :-	20.58

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमति के लिए आवेदित भूमि खतियानी भूमि है, जिसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है एवं निर्विरोध रूप से अपने स्वत्व अधिकार का उपभोग कर रहे हैं। उक्त भूमि चकला कोयला खदान के खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है और इस भू-खण्ड को द्वितीय पक्ष को बिक्री करना है। ग्राम-चकला थाना-चन्दवा, थाना नं०-238, अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार में स्थित भूमि खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1322, रकबा-1.40 एकड़, प्लॉट नं०-1654, रकबा-1.10 एकड़, प्लॉट नं०-1679, रकबा-1.12 एकड़, प्लॉट नं०-1680, रकबा-0.36 एकड़, प्लॉट नं०-1707, रकबा-0.21 एकड़, प्लॉट नं०-1709, रकबा-1.23 एकड़, प्लॉट नं०-1711, रकबा-0.96 एकड़, प्लॉट नं०-1713, रकबा-1.36 एकड़, प्लॉट नं०-1725, रकबा-0.03 एकड़, प्लॉट नं०-1743, रकबा-0.19 एकड़, प्लॉट नं०-1744, रकबा-0.05 एकड़, प्लॉट नं०-1745, रकबा-0.26 एकड़, प्लॉट नं०-1761, रकबा-0.08 एकड़, प्लॉट नं०-1762, रकबा-1.83 एकड़, प्लॉट नं०-1782, रकबा-0.09 एकड़, प्लॉट नं०-1786, रकबा-0.96 एकड़, प्लॉट नं०-1789, रकबा-0.55 एकड़, प्लॉट नं०-1936, रकबा-0.28 एकड़, प्लॉट नं०-1937, रकबा-1.26 एकड़, प्लॉट नं०-1984, रकबा-1.30 एकड़, प्लॉट नं०-1986, रकबा-3.54 एकड़, प्लॉट नं०-1995, रकबा-0.82 एकड़ एवं प्लॉट नं०-1997, रकबा-1.60 एकड़, कुल रकबा-20.58 एकड़ के मालिक एवं कब्जाधारी रैयत हैं, जो खतियानी है तथा लगान जमा किया जा रहा है। उक्त भूमि के बावत किसी अन्य के नाम से कोई भी कागजात या दस्तावेज मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, सभी प्रकार के ऋण भार बंध पत्र, न्यायालय या देशी कुर्की विवादों, विलों, विनियमनों कर्ज या लेन-देन से स्वतंत्र या पूर्णतया मुक्त है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त भू-खण्ड का राजस्व रसीद हमारे नाम से निर्गत हो रहा है एवं अंचल के राजस्व दस्तावेज/रजिस्टर-II में हमारे नाम से दर्ज है। हमें पुख्ता जानकारी है कि चकला कोयला खदान का स्वामित्व द्वितीय पक्ष मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज

लिमिटेड को Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) ने निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 द्वारा दे दिया है तथा भूमि खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसके गर्भ में कोयला है एवं उसका उत्खनन राष्ट्रहित एवं लोकहित में अवश्यम्भावी है। चकला कोयला खनन हेतु अपनी भूमि द्वितीय पक्ष के पास भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बेचने के लिए तैयार है। द्वितीय पक्ष विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का चार गुणा की दर से भूमि खरीदना चाहती है, जिससे मैं संतुष्ट होकर उक्त जमीन को बेचने एवं कम्पनी के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र करने के लिए तैयार हूँ।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 के पृष्ठ-4 पर Annexure 1 Particulars of the mine के Part A-Description of the mine अंकित है जो निम्नवत है-

Name of Coal Mine	Chakla
Coal Field	North Karanpura Coalfield
Latitude	23° 43' 01" N-23° 44' 55" N (Provisional)
Longitude	84°47' 11" E- 84° 49' 52" E (Provisional)
Villages	Chakla, Hariyatoli, Nawatoli, Amwatanr, Ambuatanr
Tehsil/Taluka	Chandwa
District	Latehar
State	Jharkhand

महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (CMPDI) (A Subsidiary of coal India limited/ Public Sector undertaking of Govt. of India), Gondwana place, Kanke Road, Ranchi के पत्रांक सीएमपीडीआई/बी0डी0/C(993)/E-403607/I-12688 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के चकला कोल ब्लॉक का Topographical survey, Block Boundary demarcation एवं DGPS Survey of Boundary Pillars किया गया है, जिसके Table-I में Block Boundary का सीमांकन कर C1 से C166 तक Boundary Pillars एवं Table-II में Bore-hole Pillars को

चिह्नित कर Geographical/UTM/National Coal Grid Co-ordinates की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा Block Boundary demarcation के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 1000/रा0 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा चकला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़नेवाले वन भूमि, गैरमजरूआ आम/खास/ जंगल-झाड़ी एवं रैयती भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रपत्र-7 में चकला कोल ब्लॉक/मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को प्रस्तावित हाल सर्वे खतियान के अनुसार रैयती भूमि का विवरण अंकित है। प्रपत्र-7 के रैयती भूमि के क्रमांक 538 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1322, रकबा-1.40 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 539 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1654, रकबा-1.10 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 540 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1679, रकबा-1.12 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 541 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1680, रकबा-0.36 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 542 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1707, रकबा-0.21 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 543 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1709, रकबा-1.23 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 544 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1711, रकबा-0.96 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो, क्रमांक 545 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1713, रकबा-1.36 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो, क्रमांक 546 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1725, रकबा-0.03 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-खलिहान, क्रमांक 547 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1743, रकबा-0.19 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 548 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1744, रकबा-0.05 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-मकान मय शहन, क्रमांक 549 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1745, रकबा-0.26 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 550 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1761, रकबा-0.08 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-मकान मय शहन, क्रमांक 551 में चकला ग्राम के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1762, रकबा-1.83 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 552 में चकला ग्राम के खाता नं0-140,

प्लॉट नं०-1782, रकबा-0.09 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो, क्रमांक 553 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1786, रकबा-0.96 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 554 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1789, रकबा-0.55 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, क्रमांक 555 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1936, रकबा-0.28 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 556 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1937, रकबा-1.26 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 557 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1984, रकबा-1.30 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 558 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1986, रकबा-3.54 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-पुरानी परती, क्रमांक 559 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1995, रकबा-0.82 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो एवं क्रमांक 560 में चकला ग्राम के खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1997, रकबा-1.60 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो अंकित है। इस वाद की भूमि खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1322, रकबा-1.40 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 538 खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1654, रकबा-1.10 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 539, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1679, रकबा-1.12 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 540, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1680, रकबा-0.36 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 541, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1707, रकबा-0.21 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 542, 121 खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1709, रकबा-1.23 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 543, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1711, रकबा-0.96 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-43 पर क्रमांक 544, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1713, रकबा-1.36 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 545, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1725, रकबा-0.03 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 546, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1743, रकबा-0.19 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 547, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1744, रकबा-0.05 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 548, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1745, रकबा-0.26 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 549, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1761, रकबा-0.08 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 550, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1762, रकबा-1.83 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 551, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1782, रकबा-0.09 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 552, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1786, रकबा-0.96 एकड़,

प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 553, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1789, रकबा-0.55 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 554, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1936, रकबा-0.28 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 555, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1937, रकबा-1.26 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 556, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1984, रकबा-1.30 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 557, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1986, रकबा-3.54 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 558, खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1995, रकबा-0.82 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 559 एवं खाता नं०-140, प्लॉट नं०-1997, रकबा-1.60 एकड़, प्रपत्र-7 पृष्ठ-44 पर क्रमांक 560 के अन्तर्गत है। उक्त भूमि को मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय (सहायक प्रबंधक) द्वारा आवेदकगण से बाजार मूल्य के चार गुणा दर पर लेने के लिए इच्छुक है।

आवेदकगण एवं मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, चन्दवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 510 दिनांक 29.05.2025 से प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार प्राप्त हुआ। आम इस्तेहार के विरुद्ध किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि आवेदकगण की खतियानी भूमि है, जिसका नामान्तरण वाद सं०-473/2024-25 से मांग पंजी-11 में आवेदकगण का नाम दर्ज है। भूमि आवेदकगण के दखल कब्जे में है। अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा भूमि बिक्री के लिए पूर्वानुमति की अनुशंसा की गयी है।

आवेदकगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर मौजा-चकला खाता नं०-141, प्लॉट नं०-1322, 1654, 1679, 1680, 1707, 1709, 1711, 1713, 1725, 1743, 1744, 1745, 1761, 1762, 1782, 1786, 1789, 1936, 1937, 1984, 1986, 1995 एवं 1997 कुल रकबा-20.58 एकड़ भूमि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में बिक्री करने हेतु अनुमति के लिए सहमति दिया गया है। साथ ही शपथ पत्र संख्या-16765 दिनांक 15.05.2025 न्यायालय में समर्पित किया गया है कि मौजा-चकला के खाता नं०-141, प्लॉट नं०-1322, 1654, 1679, 1680, 1707, 1709, 1711, 1713, 1725, 1743, 1744, 1745, 1761, 1762, 1782, 1786, 1789, 1936, 1937, 1984, 1986, 1995 एवं 1997 कुल रकबा-20.58 एकड़ भूमि अपनी स्वेच्छा से मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बिक्री कर रहे

है। मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बिक्री किये जा रहे भू-खण्ड से प्राप्त मुआवजा राशि को सदुपयोग करते हुए भूमि क्रय करेंगे। मेरे या मेरे वारिशान द्वारा कभी भी भूमिहीन होने को दावा राज्य/केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

जिला अवर निबंधक, लातेहार के पत्रांक 350 दिनांक 07.10.2024 से चन्दवा अंचल के मौजा-चकला की भूमि का उपलब्ध कराये गये दर तालिका के अनुसार मौजा-चकला का प्रति डीसमील न्यूनतम कृषि दर मो0-7147/- रुपये एवं औद्योगिक दर मो0-10721/- रुपये अंकित है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-49(1)(ख) के अन्तर्गत खनन कार्य के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा घोषित करने का प्रावधान है। इसके संबंध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 से Chakla Coal Mine का मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में निधान आदेश जारी किया गया है।

Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 एवं अंचल अधिकारी, चन्दवा के अनुशंसा के साथ समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन में अंकित भूमि विवरण के संदर्भ में आवेदकगण द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या-16765 दिनांक 15.05.2025 के आलोक में मौजा-चकला के खाता नं0-140, प्लॉट नं0-1322, रकबा-1.40 एकड़, प्लॉट नं0-1654, रकबा-1.10 एकड़, प्लॉट नं0-1679, रकबा-1.12 एकड़, प्लॉट नं0-1680, रकबा-0.36 एकड़, प्लॉट नं0-1707, रकबा-0.21 एकड़, प्लॉट नं0-1709, रकबा-1.23 एकड़, प्लॉट नं0-1711, रकबा-0.96 एकड़, प्लॉट नं0-1713, रकबा-1.36 एकड़, प्लॉट नं0-1725, रकबा-0.03 एकड़, प्लॉट नं0-1743, रकबा-0.19 एकड़, प्लॉट नं0-1744, रकबा-0.05 एकड़, प्लॉट नं0-1745, रकबा-0.26 एकड़, प्लॉट नं0-1761, रकबा-0.08 एकड़, प्लॉट नं0-1762, रकबा-1.83 एकड़, प्लॉट नं0-1782, रकबा-0.09 एकड़, प्लॉट नं0-1786, रकबा-0.96 एकड़, प्लॉट नं0-1789,

रकबा-0.55 एकड़, प्लॉट नं०-1936, रकबा-0.28 एकड़, प्लॉट नं०-1937, रकबा-1.26 एकड़, प्लॉट नं०-1984, रकबा-1.30 एकड़, प्लॉट नं०-1986, रकबा-3.54 एकड़, प्लॉट नं०-1995, रकबा-0.82 एकड़ एवं प्लॉट नं०-1997, रकबा-1.60 एकड़, कुल रकबा-20.58 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 के अन्तर्गत लालजीत उरांव वो किसुन उरांव वो रंजीत उरांव वो कामेश्वर उरांव चारों के पिता-स्व० गंदुवा उरांव वो रूपन उरांव वो केलेया उरांव दोनों के पिता-स्व० सोमिया उरांव वो मनोज उरांव वो धनेशर उरांव दोनों के पिता-स्व० रामराज उरांव, सभी निवासी ग्राम+पो०-चकला, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार को कोयला खनन कार्य हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई-400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो०-चकला, थाना+अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता-स्व० जनार्दन राय, सहायक प्रबंधक के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के साथ भूमि की बिक्री द्वारा अन्तरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा औद्योगिक कार्य के लिए भूमि का क्रय किया जा रहा है। उक्त भूमि के आवेदक एवं मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बीच हुए समझौते के विलेखों का पंजीकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 यथा संशोधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट औद्योगिक दर के आधार पर अदा करना होगा।
2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-49(4) के आलोक में विपक्षी मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा रैयत के आपसी सहमति से अन्य किसी स्वरूप/प्रकार के रूप में भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के चार गुणा मुआवजा राशि देय होगा, जो उस हल्का क्षेत्र के लिए निर्धारित बाजार/सर्किल दर के चार गुणा से कम नहीं होगा।
3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46, 47 एवं 48 के उल्लंघन

के मामले में भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रदत्त अनुमति स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगा की जिस उद्देश्य/प्रयोजन के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-49(2) में निहित प्रावधान के तहत भूमि का अर्जन किया जा रहा है, उक्त प्रयोजन से इत्तर अन्य किसी दूसरे उपयोग अथवा किसी दूसरे के साथ भूमि का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा।
5. झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत् भू-खण्ड का हस्तांतरण नहीं होगा, और यह दर किसी भी परिस्थिति में The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 एवं यथा संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत् भूमि से संबंधित क्षेत्र में कृषि श्रेणी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि उचित प्रतिकर के रूप में चार गुणा से कम देय नहीं होगा।
6. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा Rehabilitation & Resettlement Policy एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत सभी निदेशों/अनुदेशों (संशोधित सहित) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सी0एस0आर0 नीति के अन्तर्गत सभी कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।
7. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(5) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जा सकेगा।
8. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49(3) के आलोक में अंतरण रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जायेगा और दस्तावेज के रजिस्ट्रीकृत तथा भूमि के अंतरित किये जाने के पूर्व दस्तावेज के बंधेजों और अंतरण पर अधोहस्ताक्षरी की सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

9. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तांतरण के पश्चात् राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।
10. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सुनिश्चित करेगा कि जिस उद्देश्य से भूमि प्राप्त कर रहा है, उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा।
11. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इन शर्तों के अतिरिक्त रैयत/विक्रेता के साथ किये गये एकरारनामा का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
12. उपरोक्त धाराओं के आलोक में भूमि के प्रकृति (उपयोग के आधार पर) के अनुसार रैयत तथा राज्य सरकार के हितों को संरक्षित रखते हुए भूमि के दर के संबंध में जिला अवर निबंधक द्वारा निबंधन की तिथि को निर्धारित सर्किल रेट/बाजार मूल्य के आलोक में समुचित क्षतिपूर्ति की शर्तों के साथ क्रेता और विक्रेता की सहमति की दशा में विक्रय की अनुमति दी जाती है।
13. अंचल अधिकारी, चन्दवा/अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/जिला अवर निबंधक, लातेहार उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा, अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार एवं जिला अवर निबंधक, लातेहार को उपलब्ध करायें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।